

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2356

दिनांक: 24/8/11

आदेश


जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन, सुपरविजन, मोनिटरिंग एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित ग्रीवेन्स रिड्रेसल हेतु विभिन्न स्तरों पर क्षेत्राधिकार के अनुसार निम्नानुसार नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	स्तर	नोडल अधिकारी	सहायक नोडल अधिकारी
1	राज्य स्तर पर	अतिरिक्त निदेशक, (आर.सी.एच.)	1. राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी, जे.एस.एस.के. 2. कन्सलटेंट, चाईल्ड हैल्थ
2	जोन स्तर पर	संयुक्त निदेशक जोन	उप निदेशक जोन
3	जिला स्तर पर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	1. अति./उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) 2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी 3. डी.पी.एम.
4	जिला/सैटेलाइट अस्पताल/उपखण्ड अस्पताल (अस्पताल जहां पी.एम.ओ. कार्यरत हों)	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	1. उप नियंत्रक 2. वरिष्ठतम चिकित्सक, स्त्री एवं प्रसुति रोग 3. वरिष्ठतम चिकित्सक, शिशु रोग 4. स्वास्थ्य प्रबंधक/अस्पताल प्रशासक
5	ब्लॉक स्तर पर	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर	प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रभारी अधिकारी के बाद वरिष्ठतम चिकित्सक
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर	प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रभारी अधिकारी के बाद वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी

उपरोक्त अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्राधिकार में संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (गर्भवती व प्रसुता माताओं

6

एवं नवजात शिशुओं की मृत्युदर कम करना) के अनुरूप कार्य सम्पादन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
विभाग

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2356

दिनांक: 24/8/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजि सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. निजि सहायक, निदेशक (आरसीएच)/(जन स्वा.)/(एड्स)/(ई.एस.आई.)/(आई.ई.सी.) / (प्रशिक्षण) / (मोबाइल सर्जिकल युनिट)
6. निजि सहायक, परियोजना निदेशक, एन.आर.एच.एम.।
7. संयुक्त निदेशक, जोन समस्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समस्त जिला सैटेलाइट एवं उपजिला अस्पताल।
10. अति./उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) समस्त।
11. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी समस्त।
12. डी.पी.एम. समस्त।
13. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त।
14. प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्त।
15. प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्त।
16. प्रभारी अन्य सभी चिकित्सा संस्थान।
17. गार्ड फाइल।
18. प्रभारी राज्य स्तरीय सर्वर रूम।


निदेशक (आरसीएच)